

HOME DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI
5th FLOOR, C-WING, DELHI SECRETARIAT BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of general public that Private Security Agencies (Regulation) Act 2005 (29 of 2005) was enforced in Delhi in the year 2009, with the enforcement of Delhi Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2009. Section 4 of PSAR Act-2005 states "Persons or Private Security Agency not to engage or provide private security guard without license - No person shall carry on or commence the business of Private Security Agency, unless he holds a license issued under this Act."

G.N.C.T of Delhi has issued more than 1000 licenses till date, the detail of which is available on the website <http://220.156.188.96/homedepartment/>. It has been observed by the Controlling Authority that some of the agencies are employing/engaging the security personnel (Guards/Supervisors etc.) who don't possess the valid training certificate from a training institute recognized by the Controlling Authority, Delhi. (List is available at <http://220.156.188.96/homedepartment/>).

All the Private Security Agencies operating in Delhi are hereby advised & warned that they must deploy Security Guards/Supervisor after completion of training from Training Institutes recognized by Controlling Authority, Delhi.

Also, All Govt. departments/institutions/private establishments/organizations etc who have hired Private Security Guards must ensure that the said Private Security Agency must have valid license under the Private Security Agency (Regulation) Act-2005 & their private security guards are duly trained from the training institutes approved/recognized by the Controlling Authority, Delhi.

Any violation, in this regard, may be reported to undersigned on phone, email or in person during office hours on any working day.

(C.P. MISHRA)
Controlling Authority, D.P.S.A (R) Rules, 2009/
Additional Secretary (Home)
psara.delhi@gov.in, Phone: 011-23392325

DIP/Shabdant/0528/17-18

HINDUSTAN TIMES

06.06.2017

PAGE NO. 15



(दिल्ली राजपत्र के भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

गृह (पुलिस-II) विभाग

5वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2009 के लागू होने के साथ ही निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) वर्ष 2009 से दिल्ली में लागू हुआ था। निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005 की धारा 4 में निर्दिष्ट है कि "कोई व्यक्ति या निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस के बिना निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करा सकती है। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत जारी लाइसेंस के बिना निजी सुरक्षा एजेंसी का व्यवसाय जारी/प्रारंभ नहीं करेगा।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अब तक 1000 से अधिक लाइसेंस जारी किए हैं, जिनका विवरण वेबसाइट <http://220.156.188.96/homedepartment/> पर उपलब्ध है। नियंत्रण प्राधिकारी ने यह अवलोकन किया है कि कुछ एजेंसियां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वैद्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना सुरक्षा कर्मियों (गार्डों/पर्यवेक्षकों इत्यादि) को तैनात कार्य पर लगा रही है (सूची <http://220.156.188.96/homedepartment/> पर उपलब्ध है)।

दिल्ली में कार्य कर रही सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को सलाह एवं चेतावनी दी जाती है कि वे नियंत्रण प्राधिकारी दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक को तैनाती सुनिश्चित करें।

सभी सरकारी विभागों/संस्थानों/निजी संस्थापनाओं/संगठनों इत्यादि जिन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से निजी सुरक्षा गार्डों को कार्य पर लगा रखा है, वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त निजी सुरक्षा एजेंसी के पास निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैद्य लाइसेंस हो और उनका निजी सुरक्षा गार्ड नियंत्रण प्राधिकार, दिल्ली द्वारा मान्यता/अनुमोदित प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से विधिवत् प्रशिक्षित हों।

इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन होने पर अधोहस्ताक्षरी को किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान फोन, ई-मेल द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकता है।

ह०/- (ओ०पी० मिश्रा)

नियंत्रण प्राधिकारी, डी.पी.एस.ए. (आर) नियम, 2009/अपर सचिव (गृह)

psara.delhi@gov.in फोन: 011-23392325

<http://Shabdarth/0528/17-18>

HINDUSTAN - HINDI

06-06-2017

PAGE - 15 No